न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 81/2017/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
तारीख दायराः 25.07.2017
अन्तर्गत धाराः 75 एल.आर.एक्ट

उनवान

1. नगर विकास न्यास, कोटा जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

...अपीलांट

बनाम

1. अमृतपाल सिंह पुत्र श्री दलजीत सिंह जाट सिक्ख निवासी हाथीखेड़ा तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा जिला कोटा

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री शम्भूदयाल विजय अभिभाषक अपीलांट
श्री रघुवीर सिंह राठौड़ अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 26.11.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 26/2016 (अपील) धारा अन्तर्गत 136 एलआरएक्ट बउनवान अमृतपाल बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मे पारित निर्णय दिनांक 03.05.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि रेस्पो0 क्रम सं0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 136 एलआरएक्ट मे प्रार्थना पत्र क प्रस्तुत कर अपने खाते में सेटलमेंट से पूर्व साबिक खसरा सं0 199 की 23 बीघा भूमि जो नामान्तरकरण सं0 113 दिनांक 05.02.1983 से उसके खाते में दर्ज हुयी। सेटलमेंट के पश्चात् उपरोक्त आराजी के नये खसरा सं0 248 रकबा 0.18 व 249 रकबा 2.55 हैक्टर 2 किता का कुल रकबा 3.03 हैक्टर दर्ज किया गया जो पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रेस्पो0 क्रम सं0 1 के खाते की भूमि के कुल रकबा 3.68 हैक्टर में से 0.65 हैक्टर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में सरकार द्वारा अवाप्त करने के कारण कमी हुई है। इस प्रकार प्रार्थी के रकबे मे कम की गई 0.65 है0 भूमि पूर्ण कर रकबा 3.03 है0 करने का आदेश प्रदान किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 3.8.2015 से अमृतपाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने से अप्रसन्न होकर अमृतपाल द्वारा अपील सं0 115/15 न्यायालय हाजा मे पेश की गई जिसे निर्णय दिनांक 25.10.2016 से आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 3.8.2015 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को तथ्यों का समुचित परीक्षण कर नगर विकास न्यास कोटा को प्रकरण मे पक्षकार बनाया जाकर पक्षकारों को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिमांड आदेश की पालना मे प्रकरण मे नगर विकास न्यास कोटा को पक्षकार सं0 2 बनाया जाकर सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये प्रार्थी अमृतपाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज ख0 नं0 248 व ख0 नं0 249 का कमी रकबा 0.65 है0 की पूर्ति सिवायचक ख0 नं0 22 रकबा 0.66 है0 मे से 0.33 है0 तथा ख0 नं0 253 की 0.68 है0 मे से 0.32 है0 से करते हुये प्रार्थी के खसरा नम्बर 248 व 249 का रकबा गत रकबे के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने का दिनांक 3.5.2017 को निर्णय पारित किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रेस्पो0 क्रम–1 अमृतपाल के खाते की भूमि का कुल रकबा 3.68 है0 मे से 0.65 है0 भूमि राष्टीय

राजमार्ग मे सरकार द्वारा आपाप्त करने के कारण कमी हुई थी इस प्रकार कमी रकबे की स्थिति स्पष्ट हो जाने के बावजूद भी रेस्पो0 क्रम–1 ने कोर्ट के समक्ष तथ्यों को छिपाते हुये धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय को गुमराह करके अपने पक्ष मे दुरूस्ती आदेश पारित करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब से उपरोक्त वर्णित तथ्य स्पष्ट होने के बावजूद भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट को इग्नोर करते हुए रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष में दुरूस्ती आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। रेस्पो0 क्रम 1 राज्य सरकार द्वारा आवाप्त की गयी भूमि का केवल मात्र सिविल कोर्ट में कार्यवाही करके उचित मुआवजा प्राप्त कर सकता है।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रेस्पो0 क्रम सं0 1 के खाते की भूमि कुल रकबा 3.68 हैक्टर में से 0.65 हैक्टर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में सरकार द्वारा अवाप्त करने के कारण कमी हुई है। रेस्पो0 क्रम सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में तथ्यों को छिपाते हुए धारा 136 का प्रार्थना–पत्र पेश किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2017 अवैधानिक है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु रेस्पो0 क्रम सं0 2 द्वारा रेस्पो0 क्रम सं0 1 के खाते की 0.65 हैक्टर अवाप्त की गयी भूमि को सिवायचक भूमि में से रेस्पो0 क्रम सं0 1 को दी जाकर कमी रकबे की पूर्ति करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है क्योंकि एन0 एच0 मे आवाप्त हुई भूमि की धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र के माध्यम से कमी पूर्ति नही की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश गेरकानूनी है। बहस मे आगे बताया कि राज्य सरकार द्वारा अवाप्त की गयी भूमि का रेस्पो0 क्रम सं0 1 केवल सिविल कोर्ट में कार्यवाही करके उचित मुआवजा प्राप्त कर सकता है। भूमि का रकबा किस ख0 नं0 मे कम हुआ तथा किस ख0 नं0 मे बढा तहसील रिपोर्ट मे स्पष्ट नही है। अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत नही आता है उसको रेगूलर वाद धारा 88, 89 आरटीए का पेश कर अपने हक हकूको का निर्धारण कराना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा अपील मे प्रस्तुत जवाब को नजरअंदाज किया गया है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2015 (1) पेज 10–12, आरआरटी 2011 (1) पेज 6–9 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने बहस मे कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। अवाप्त की गई भूमि 0.65 है0 का मुआवजा रेस्पों0 क्रम 1 को मिल चुका है सेटलमेन्ट संवत 2038–57 की कार्यवाही के दौरान सेटलमेंट विभाग ने भूमि के नये खसरा नम्बर 248 रकबा 0.18 है0,ख.सं. 249 रकबा 2.85 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.03 है0 कायम किया जो गत रकबा 23 बीधा भूमि के 3.68 है0 बनता है के स्थान पर गलत व अवैधानिक रूप से 0.65 है0 कम रकबा दर्ज कर 3.03 है0 दर्ज कर दिये जाने रेस्पो0 क्रम–1 दुरूस्ती करवाकर अपने नाम दर्ज कराने का वैधानिक अधिकारी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का जेर अपील निर्णय दिनांक 03.05.2017 न्यायोचित है। बहस मे आगे बताया कि जिस खसरे से अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 क्रम–1 के कमी रकबे की पूर्ति करने का निर्णय पारित किया है वह खसरा नम्बर नगर विकास न्यास कोटा का नही है। उक्त तथ्यों के पारिपेक्ष्य अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–1 पर मनन किया। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः अपील का गुणावगुण के आधार पर विचार करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे जेरअपील निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 9.5.2017 को होना व प्रशासनिक केम्पों मे व्यस्तता के कारण अपील पेश करने मे देरी होना वर्णित किया है। प्रार्थना मे उल्लेखित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 क्रम–1 अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया ऐसी स्थिति शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने

जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 अपील का गुणावगुण के आधार पर विचार कर पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं0 2034–37 मिलान क्षेत्रफल, रिपोर्ट पट0/तहसीलदार तथा जेरअपील निर्णय का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ख0 नं0 199 की 23 बीघा भूमि के नवीन खसरा नम्बर 248 रकबा 0.18 है0 एवं 249 रकबा 2.85 है0 कुल 3.03 है0 कायम किये गये है। तत्पश्चात सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु ख0 नं0 248 मे से 0.03 है0 तथा 249 मे से 0.62 है0 कुल रकबा 0.65 है0 रकबा आवाप्त किया गया। बाद आवाप्ति ख0 नं0 248 रकबा 0.15 है, ख0 नं0 249 रकबा 2.23 है0 कुल 2.38 दर्ज राजस्व रेकार्ड किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट मे रेस्पो0 क्रम–1 अमृतपाल का कथन रहा है कि सेटलमेंट से पूर्व खाते मे दर्ज आराजी व बाद सेटलमेंट 0.65 है0 रकबा कम दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर अमृतपाल का गत रकबे के अनुसार कब्जा काश्त होना तथा राजस्व रिकार्ड मे 0.65 है0 की कमी होने से वह पूर्ती करवाकर कमी रकबा गत रकबे के अनुसार अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी होना मानते हुये प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर अमृतपाल के खाते दर्ज ख0 नं0 248 व 249 का कमी रकबा 0.65 है0 की पूर्ति सिवायचक ख0 नं0 22 रकबा 0.66 है0 मे से 0.33 है0 तथा खसरा नम्बर 253 की 0.68 है0 मे से 0.32 है0 से करते हुये ख0 नं0 248 व 249 का रकबा गत करबे के अनुसार दर्ज करने का जेरअपील निर्णय दिनांक 3.5.2017 पारित किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि 0.65 है0 रकबा एन0 एच0 मे आवाप्त हुवा है जिसकी धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र के माध्यम से कमी पूर्ति नही की जा सकती अतः जेरअपील निर्णय 3.5.2017 गेरकानूनी है। भूमि का रकबा किस ख0 नं0 मे कम हुआ तथा किस ख0 नं0 मे बढा तहसील रिपोर्ट मे स्पष्ट नही है। अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत नही आता है उसको रेगूलर वाद के माध्यम से हक हकूको का निर्धारण कराना चाहिये था। अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2015 (1) पेज 10–12, आरआरटी 2011 (1) पेज 6–9 का न्यायिक उद्धरण पेश किया। पत्रावली मे उपलब्ध तहसील रिपोर्ट से भूमि का रकबा किस ख0 नं0 मे कम हुआ है तथा किस ख0 नं0 मे बढा है स्पष्ट नही होता है। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा भी प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट मे भी रेस्पो0 द्वारा यह स्पष्ट उल्लेख नही किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस ख0 नं0 मे बढे हुये रकबे से की जानी है। नकल जमाबंदी ग्राम हाथीखेडा सं0 2061–64 मे अंकित नोट अनुसार नामा0 सं0 154 दिनांक 22.11.2006 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय के नाम ख0 नं0 248 मे से 0.03 है0 तथा 249 मे से 0.62 है0 कुल रकबा 0.65 है0 रकबा आवाप्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाा चुका है। विवादित भूमि कोटा नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आती है तथा नगर निगम क्षेत्र की सभी सिवायचक भूमि का हस्तान्तरण नगर विकास न्यास को किया जा चुका है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956–धारा 136–व्याप्ति राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती केवल लिपिकीय त्रुटि अथवा कुछ स्वीकृत त्रुटियां धारा 136 के अन्तर्गत परिशेधित की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे उक्त विवेचित तथ्यों का समुचित परीक्षण किये बिना ही जेरअपील निर्णय दिनांक 3.5.2017 पारित कर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की जाना प्रकट होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा प्रकरण सं0 26/16 (प्रा0 पत्र) अमृतपाल बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 3.5.2017 अपास्त किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा